जनपद हमीरपुर

थाना-बिवांर **दिनांक 24.11.2026**

थाना बिवांर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 234/26 धारा- 109(1)/296/352/351(3)BNS व 3(1)(द)(ध)3(2)va SC/ST ACT से सम्बन्धित बांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।



घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.11.2026 को वादी प्रेमनारायण पुत्र सुन्दरलाल नि0 ग्राम हिमौली थाना बिवांर जनपद हमीरपुर उपस्थित थाना आकर तहरीर देते हुए बताया गया कि अभियुक्तगण1.अब्बास अहमद पुत्र इकबाल अहमद 2. भोलू पुत्र हयात अहमद निवासीगण ग्राम हिमौली थाना बिवार जनपद हमीरपुर द्वारा वादी व वादी के परिवारजनों के साथ जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने व घर की महिलाओं के साथ अभद्रता करने व अभि0 अब्बास अहमद द्वारा जान से मारने की नियत से अवैध तंमचा से वादी के पिता सुन्दरलाल को गोली मार देने के सम्बन्ध में दिया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 234/2026 धारा 109(1)/296/352/351(3)BNS व 3(1)(द)(ध)3(2)va SC/ST ACT बनाम 1.अब्बास अहमद पुत्र इकबाल अहमद 2. भोलू पुत्र हयात अहमद निवासीगण ग्राम हिमौली थाना बिवार जनपद हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 24.11.2026 को थाना बिवांर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बांछित अभि0 अब्बास अहमद उर्फ चिरउआ पुत्र इकबाल अहमद उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम हिमौली थाना बिवांर जनपद हमीरपुर को घटना मे प्रयुक्त एक अदद तमंचा 32 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 32 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर के साथ ग्राम पारा जाने वाली मोड़ पर बनी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अब्बास अहमद उर्फ चिरउआ पुत्र इकबाल अहमद (उम्र करीब 25 वर्ष) निवासी ग्राम हिमौली थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-84/23 धारा 379/411 आईपीसी

2.मु0अ0सं0 274/23 धारा 323/504/506 आईपीसी

2.मु0अ0सं0-216/25 धारा 296 बीएनएस

गिरफ्तारी का स्थान-

ग्राम पारा जाने वाली मोड़ पर बनी पुलिया के पास थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 योगेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 रोहित कुमार
3. का0 रोहित कुमार
4. का0 सिद्धार्थ राव